

**Financial Assistance from International Agencies for preparation of Investment Surveys in Jammu and Kashmir**

2380. SHRIMATI PARVATI DEVI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is proposed to seek financial assistance from international agencies like the Commonwealth Secretariat and UNDP for preparation of investment surveys of extensive nature to open new vistas of development like forest in Jammu & Kashmir State; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Recruitment of Ex-Servicemen as Airport Officers**

2381. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the International Airport Authority of India had set up a panel of selected candidates for recruitment of Airport Officers during the year 1975 and 1976;

(b) if so, the facts thereof including detailed list of such selected candidates for the posts;

(c) whether out of such selected candidates quite a good number of candidates belonged to ex-servicemen group;

(d) the details of such ex-servicemen of various wings of armed forces so selected and steps taken to rehabilitate these candidates on priority basis; and

(e) if not, given the appointments, the reasons therefor and also steps being contemplated now to rehabilitate them immediately?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) Yes, Sir. The International Airports Authority of India had prepared a panel on 1-12-1975 on the basis of open selection and another panel on 2-11-1976 for departmental promotion to fill up the posts of Airport Officer.

(b) and (c). The detailed list of the two panels drawn up by the Authority is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-1771/78]. The two panels together contained the names of 10 Ex-Servicemen

(d) All the 10 ex-servicemen included in the two panels have been appointed/promoted as Airport Officers. 5 of these belong to the Army, 3 to Air Force and 2 to Navy.

(e) Does not arise

**बिमान यात्रियों को सामान देने में विलम्ब**

2382. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा पूरी करने के पश्चात् सामान लेने के लिए एक घंटे से दो घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जबकि उनकी यात्रा डेढ़ घंटे भ्रमण एक घंटे में भी कम होती है और यदि हां तो सामान को तत्काल देने और इसके लिए अच्छी तथा सरल व्यवस्था करने के बारे में सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या 20 किलोग्राम के बजाय 30 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति देने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं ।

सामान देने में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भीसतन 15 से 30 मिनट का समय लिया जाता है। तथापि अतिव्यस्त सभी हवाई अड्डों पर सामान के देने में लगने वाले समय को धीरे घटाने के बारे में आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों पर जलपान केन्द्र

2383 श्री हुकम चन्द कछबाय क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर जलपान केन्टीनो और अन्य बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है और उन्हें किन शर्तों पर एनाट किया गया है,

(ख) क्या पिछले अनेक वर्षों से उनका किराया नहीं दिया गया है और यदि हा, तो ऐसे कितने होटल-मालिक और दुकानदार हैं जिनसे अभी तक किराया वसूल नहीं किया गया है, और

(ग) हवाई अड्डों पर ठेके पर दिये गये होटलों और अन्य दुकानों से गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी आय हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री सुबोधसूक्त कौशिक) : (क) मध्य प्रदेश में छ हवाई अड्डों हैं जहाँ इंडियन एयरलाइन्स अपनी अनुसूचित सेवाएं परिचालित कर रही है। किलहाल चार हवाई अड्डों, अर्थात् इंदौर, जबपुराहो, ग्वालियर तथा भोपाल में जलपान सुविधाएं उपलब्ध है। इनके लिए

केटरिंग लाइसेंस टैंडर संवधा कर नीचे बताई गई शर्तों के आधार पर दिए गए हैं—

इंदौर : केटरिंग लाइसेंस 1-6-1976 के तीन वर्ष की अवधि के लिए 200/- रुपये प्रतिमास की दर से लाइसेंस शुल्क के भुगतान के आधार पर दिया गया है जो बिजली, पानी तथा स्थानीय कर आदि जैसे अन्य प्रभारों, यदि कोई हो के अलावा है।

जबपुराहो केटरिंग लाइसेंस 1-8-1975 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 225/- रुपये प्रतिमास की दर से लाइसेंस शुल्क के भुगतान के आधार पर दिया गया है जो बिजली, पानी तथा स्थानीय कर आदि जैसे अन्य प्रभारों यदि कोई हो के अलावा है।

ग्वालियर . केटरिंग लाइसेंस 1-4-1977 से एक वर्ष की अवधि के लिए 75/- रुपये प्रति मास की दर से लाइसेंस शुल्क और सिग्रेट तथा तबाकू की बिक्री पर हुए लाभ के 50 प्रतिशत के भुगतान के आधार पर दिया गया है जो बिजली, पानी तथा स्थानीय कर आदि जैसे अन्य प्रभारों, यदि कोई हो, के अलावा है।

भोपाल केटरिंग लाइसेंस 1-7-1977 से दो वर्ष के लिए 788/- रुपये प्रति मास की दर से लाइसेंस शुल्क के भुगतान के आधार पर दिया गया है जो बिजली पानी तथा स्थानीय कर आदि जैसे अन्य प्रभारों, यदि कोई हा, के अलावा है।

राजपुर/जबलपुर : इन हवाई अड्डा पर कोई भी खान-पान सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

(ख) भोपाल की केटीन के मालिक के अतिरिक्त किसी भी केटीन मालिक पर सरकार का कोई पैसा बकाया नहीं है। उसने जनवरी तथा फरवरी 1978 के महीनों की 788/- रुपये प्रतिमास की दर से लाइसेंस शुल्क की अदायगी नहीं की है।